संख्या-27/2021/766/33-3-2021-19/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज (लेखा)

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के संबधं में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि.पं.रा.ले./ले/127(2021-22)/01 दिनांक 01.04.2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्ययों हेतु अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- 800-अन्य व्यय-04-जिला परिषदों एवं क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू. 2032.10 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि रू. 2032.10 लाख (रू. बीस करोड़ बत्तीस लाख दस हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है, को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) निदेशक,पंचायतीराज लेखा द्वारा अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबधं में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबधं में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) इस संबधं में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515 के अधीन प्रावधानित सुसंगत इकाईयों (संलग्नक के अनुसार) के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज लेखा, उ0प्र0।

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 27/2021/766/33-3-2021-19/2021 दिनांक 07.04.2021 का संलग्नक

अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- 800-अन्य व्यय-04-जिला परिषदों एवं क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2021-22 का आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2021-22 की स्वीकृति हेतु धनराशि
1	01-वेतन	1400.00	1400.00
2	03-मंहगाई भत्ता	420.00	420.00
3	04- यात्रा व्यय	7.00	7.00
4	05- स्थानांतरण यात्रा भत्ता	3.00	3.00
5	06- अन्य भत्ते	0.20	0.20
6	08-कार्यालय व्यय	4.00	4.00
7	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.50	1.50
8	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
9	13- टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
10	15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	3.00
11	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	1.00
12	29- अनुरक्षण	1.00	1.00
13	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
14	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
15	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्रय	15.00	15.00
16	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
17	49- चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
18	51-वर्दी व्यय	0.20	0.20
19	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.20	1.20
20	55-मकान किराया भत्ता	100.00	100.00
21	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं का भुगतान	50.00	50.00
कुल योग		**2032.10**	**2032.10**

रू. 2032.10 लाख (रू. बीस करोड़ बत्तीस लाख दस हजार मात्र)

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in